राजस्व वाद संख्याः–79/2024
अविनाश कुल्हरी बनाम महेन्द्र सिंह वगै0
निर्णय दिनांकः–25/04/2025.....

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– **श्रीमती सुमन देवी ।।(आर.ए.एस.)**

मु0नं0 79/2024

01. अविनाश कुलहरी पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, आयु वर्ष, जाति जाट, निवासी देवरोड़, तहसील पिलानी, जिला झुंझुनू राज०

——वादीगण

बनाम

01. महेन्द्र सिंह पुत्र रामचन्द्र, आयु 73 वर्ष,
02. राजेश पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, आयु 55 वर्ष,
03. कमलेश पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, आयु 50 वर्ष,
04. प्रकटसिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, आयु 39 वर्ष,
    समस्त जाति जाट, निवासी देवरोड़ तहसील पिलानी, जिला झुंझुनू राज०
05. प्रबन्धक निदेशक पंजाब नेशनल बैंक शाखा चिडावा, तहसील चिडावा जिला झुंझुनू राज०
06. भूमिधारी (राजस्थान सरकार) जरिये तहसीलदार तहसील पिलानी जिला झुंझुनू राज०

———प्रतिवादीगण

उपस्थितः– वादीगण अधिवक्ता
प्रतिवादीगण अधिवक्ता

<u>दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती</u>
<u>निर्णय</u>

वादीगण ने घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती यह कि भूमि हाल खसरा नं. 103 रकबा 1.72 हैक्टर, खसरा नं. 661 रकबा 0.03 हैक्ट, खसरा नं. 662 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नं. 664 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नं. 665 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नं. 671 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नं. 672 रकबा 1.03 हेक्टर, खसरा नं. 673 रकबा 4.90 हैक्टर, खसरा नं. 674 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नं 739/664 रकबा 1.60 हैक्टर कुल खसरा 10 कुल रकबा 12.22 हैक्टर सरहद ग्राम देवरोड तहसील पिलानी जिला झुंझुनू राज० स्थित है।

यह कि वाद–पत्र की मद संख्या में वर्णित आराजियात गत खसरा नं. 85, 556मी 548/1मी 558मी., 559/1मी. 1556मी, 556 मी.. 1548, 549, 555/2मी 550, 557/2मी. ग्राम देवरोड़ तहसील चिडावा जिला झुंझुनू से कायम हुए है।

यह कि वाद पत्र की मद सं.1 में वर्णित आराजियात वादी व प्रतिवादीगण सं. । लगायत 4 की अनसेस्टरल दादालायी सम्पति है। उक्त आराजियात का पूर्व खातेदार काश्तकार स्व० श्री रामचन्द्र पुत्र दाताराम थे तथा उनके देहान्त के बाद उनके पुत्र श्री महेन्द्र सिंह प्रतिवादी नं. 1 के नाम से रिकार्ड में दर्ज हुई। यादी व प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 4 उक्त महेन्द्र सिंह के पुत्र हैं।

यह कि वादग्रस्त आराजियात दादालायी सम्पति है इसलिये वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 4 अपने पिता के जीवनकाल में उक्त सम्पति में बराबर बराबर हिस्सेदार व काबिज काश्तकार है तथा अपने हिस्से के काश्तकार व खातेदार होने के हकदार है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः–79/2024
अविनाश कुल्हरी बनाम महेन्द्र सिंह वगै0
निर्णय दिनांकः–25/04/2025

विवादग्रस्त आराजियात में वादी प्रतिवादी सं. 1. प्रतिवादी सं. 2. प्रतिवादी सं. 3. प्रतिवादी सं. 4 क्रमशः हिस्सा 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, के खातेदार काश्तकार हैं व उक्त हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी वादी है।

यह कि वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 प्रत्येक की वाद पत्र की धारा नं. 1 में वर्णित जमीन के 1/5 1/5 हिस्से पर काबिज काश्त हैं लेकिन रिकार्ड अकेले प्रतिवादी नं. 1 के नाम से दर्ज होने से वादी अपने कब्जे काश्त की भूमि पर सरकारी लाभ लेने व फसल नुकसान होने पर मुआवजा प्राप्त नहीं होने से वादी को अपार नुकसान होता है। मौके पर वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 के मध्य कोई विवाद नहीं है। लेकिन रिकार्ड प्रतिवादी नं. 1 के नाम से दर्ज होने से वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 प्रत्येक 1/5 हिस्से के खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं।

यह कि वादी ने प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 से जब आपसी सहमति से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने को कहा व वादी प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 तहसील में दिनांक 02.03.2024 को गये व रिकार्ड दुरूस्त करवाने को कहा तो तहसीलदार पिलानी ने बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के रिकार्ड दुरूस्त करने से मना कर देने से यह दावा न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह कि दावा हाजा के लिए वाद कारण दिनांक 02.03.2024 को न्यायालय के आदेश के बिना रिकार्ड दुरूस्त करने से मना कर देने से पैदा हुआ।

यह कि वादग्रस्त जमीन ग्राम देवरोड़ में स्थित होने से इस वाद पत्र को सुनने का हक अदालत हाजा को है।

यह कि दावा दो प्रतियों में मय शपथ पत्र पेश है।

यह कि दावा पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

यह कि प्रतिवादी नं. 1 ने प्रतिवादी नं. 5 के यहां ऋण लेने से व प्रतिवादी नं. 6 आवश्यक पक्षकार होने से फरीक दावा बनाये गये हैं।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि–

क– घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि वो ग्राम देवरोड़ स्थित जमीन हाल खसरा नं. 103 रकबा 1.72 हैक्टर, खसरा नं. 661 रकबा 0.03 हैक्ट, खसरा नं. 662 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नं. 664 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नं. 665 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नं. 671 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं, 672 रकबा 1.03 हैक्टर, खसरा नं. 673 रकबा 4.90 हैक्टर, खसरा नं. 674 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नं. 739/664 रकबा 1.60 हैक्टर कुल खसरा 10 कुल रकबा 12.22 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 प्रत्येक 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार है।

ख– यह कि घोषणा के मुताबिक दावा डिकी कर तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जावे कि वह निर्णय डिकी के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे।

ग– यह कि अन्य सिद्धि जो वादी के हक में हो भूल से चाही जाने से रह गई हो वह भी वादी को धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादी को दिलवाई जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर वाद दिनांक 26.04.2024 को दर्ज किया गया एवं दर्ज कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 27.05.2024 नियत की गयी। नियत पेशी दिनांक 03.04.2025 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 04 की और से अधिवक्ता श्री अजय

उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः–79/2024
अविनाश कुल्हरी बनाम महेन्द्र सिंह वगै0
निर्णय दिनांकः–25/04/2025

शर्मा द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 25.04.2025 को प्रतिवादीगण संख्या 5, 6 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादी अधिवक्ता द्वारा मुताबिक अनुतोष वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया । वादी अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 की और से इकबालिया जवाब पेश होने से एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा शपथ पत्र पेश करने से वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अंतिम डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम देवरोड़ स्थित जमीन हाल खसरा नं. 103 रकबा 1.72 हैक्टर, खसरा नं. 661 रकबा 0.03 हैक्ट, खसरा नं. 662 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नं. 664 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नं. 665 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नं. 671 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं, 672 रकबा 1.03 हैक्टर, खसरा नं. 673 रकबा 4.90 हैक्टर, खसरा नं. 674 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नं. 739/664 रकबा 1.60 हैक्टर कुल खसरा 10 कुल रकबा 12.22 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 प्रत्येक 1/5 हिस्से के खातेदार की खातेदारी अधिकारों के हक की घोषणा की जाती है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 25/04/2025..... को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:–79 / 2024
अविनाश कुल्हरी बनाम महेन्द्र सिंह वगै0
निर्णय दिनांक:– .....

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेष 20 के नियम 6 और 7)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी:– श्रीमती सुमन देवी ॥ (आर.ए.एस.)

मु0नं0 79 / 2024
निर्णय दिनांक:– .....

अविनाश कुल्हरी बनाम महेन्द्र सिंह वगै0
दावा बाबत घोषणार्थ

वादीगण अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख ..... को श्रीमती सुमन देवी ॥ उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

वाद वादी डिक्री किया जाता है कि ग्राम देवरोड़ स्थित जमीन हाल खसरा नं. 103 रकबा 1.72 हैक्टर, खसरा नं. 661 रकबा 0.03 हैक्ट, खसरा नं. 662 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नं. 664 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नं. 665 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नं. 671 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं, 672 रकबा 1.03 हैक्टर, खसरा नं. 673 रकबा 4.90 हैक्टर, खसरा नं. 674 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नं. 739 / 664 रकबा 1.60 हैक्टर कुल खसरा 10 कुल रकबा 12.22 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 प्रत्येक 1 / 5 हिस्से के खातेदार की खातेदारी अधिकारों के हक की घोषणा की जाती है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे।। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्रीमती सुमन देवी ॥ आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़